<u>न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा</u>
<u>जिला राजसमंद (राज.)</u>
प्रकरण सं. 105/2025 मु.फौ.
श्रीमती शांता बनाम खुबीलाल
प्रार्थना पत्र बाबत अंतरिम भरण पोषण अंतर्गत धारा 144 बीएनएसएस

दिनाँक	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	
<u>13.10.2025</u>	प्रार्थीया श्रीमती शांता मय अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी खुबीलाल मय अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी की ओर से व्यक्तिगत सूचनाओं के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ जो संलग्न पत्रावली रहे। अधिवक्ता ने अंतरिम भरण–पोषण के संबंध में सीधे बहस करना चाहा जिस पर उभय पक्षकारान की बहस अंतरिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया श्रीमती शांता ने उसके विपक्षी खुबीलाल की वैध विवाहिता पत्नी होने, दोनों के नुत्फे से एक पुत्र राज का जन्म होने और विपक्षी के जानबुझकर उपेक्षापुर्ण व्यवहार करते हुए उसका भरण पोषण नहीं किये जाने और आये दिन उससे दहेज की मांग करते हुये क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने एवं अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया के साथ मारपीट कर व उसके जेवरात खुलवाकर उसे घर से बाहर निकाल देने, जिसके बाद से ही प्रार्थीया के उसके पीहर में रहने का कथन करते हुए विपक्षी से प्रति माह 25 हजार रूपये अंतरिम भरण पोषण के रूप में दिलाये जाने का निवेदन किया है। जबकि विपक्षी ने प्रार्थीया द्वारा कथित सभी तथ्य गलत होना बताते हुये प्रार्थीया अपनी जिद के कारण जान–बुझकर अपने पीहर में रहने, उसे लाने के लिये जाने पर भी नहीं आने, प्रार्थीया द्वारा झूठे तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण वह किसी भी प्रकार का भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होने का	

दिनाँक	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	
	कथन करते हुये उसकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है, लेकिन विपक्षी द्वारा कथित सभी तथ्य साक्ष्य के मोहताज है व जिनका निर्धारण इस स्तर पर नहीं किया जाकर मुल प्रकरण में उभय पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के उपरांत ही किया जा सकेगा। समाज में अपनी पत्नी व बच्चों का भरण पोषण करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक ही नहीं वरन विधिक कर्तव्य भी है। प्रार्थीया ने विपक्षी के विरुद्ध क्रूरतापूर्ण एवं उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते उसका भरण पोषण नहीं किये जाने के आरोप लगाये है, जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रकट होता है कि प्रार्थीया व उसके बच्चों के प्रति विपक्षी का व्यवहार क्रूरतापुर्ण एवं उपेक्षापूर्ण रहा है और जिस कारण प्रार्थीया का विपक्षी से पृथक रहकर अंतरिम भरण–पोषण की मांग करना अयुक्तियुक्त नहीं है। अतः इस स्तर पर प्रार्थीया को विपक्षी से भरण–पोषण दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक विपक्षी के आय के साधनों का प्रश्न है? इस संबंध में प्रार्थीया ने उसके प्रार्थना पत्र में विपक्षी के होटल में प्राईवेट नौकरी करने एवं स्वयं के कृषि भूमियों से करीब 50 हजार रुपये प्रतिमाह कमाने का कथन किया है, परंतु इस संबंध में प्रार्थीया की ओर से किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि विपक्षी के उक्तानुसार आय होती है। फलतः प्रार्थीगण को विपक्षी से आज के युग की परिस्थितियों, महंगाई तथा उनके आर्थिक व सामाजिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए युक्तियुक्त भरण–पोषण दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	

दिनाँक	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	
	–<u>आदेश</u>– अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, महंगाई तथा उभयपक्षकारान के आर्थिक व सामाजिक स्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीया श्रीमती शांता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अंतरिम भरण–पोषण स्वीकार किया जाकर विपक्षी खुबीलाल को आदेशित किया जाता है कि वो मुल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व अंतरिम भरण पोषण के रूप में प्रार्थीया श्रीमती शांता को 4,000/–अक्षरे चार हजार रूपये व उसके पुत्र राज के लिये प्रतिमाह 2,000/–अक्षरे दो हजार रूपये कुल 6,000/–अक्षरे छः हजार रुपये अदा करता रहेगा। उक्त भरण–पोषण की राशि प्रार्थना पत्र की प्रस्तुती दिनांक 01.05.2025 से प्रदान किए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 13–01–2026 को पेश हो।	